राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 455/2023

प्रेमलता (कर्मचारी आई.डी.– आरजेएसके199833017194)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 1801.2023
आदेश की दिनांक : 01.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पूनिया, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 22.09.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी–5 को अधिशेष मानते हुए उनका स्थानांतरण उप स्वास्थ्य केंद्र माधोपुरा रहनावा लक्ष्मणगढ, सीकर में अपीलार्थी के स्थान पर किया गया तथा अपीलार्थी का कहीं भी स्थानांतरण नहीं किया गया। उक्त आदेश को अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 5013/2022 के जरिये चुनौती दी थी। उक्त अपील में उक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.09.2022 की क्रियान्विति स्थगित की थी। प्रत्यर्थी विभाग ने पुनः स्थानांतरण आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) पारित किया है और अपीलार्थी का स्थानांतरण उप स्वास्थ्य केन्द्र माधोपुरा रहनावा, लक्ष्मणगढ सीकर से पीएचसी फतेहपुर करौली किया गया है और निजी प्रत्यर्थी का उसी स्थान पर अपीलार्थी के जगह स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि निर्जी प्रत्यर्थी उप स्वास्थ्य केन्द्र माधोपुरा रहनावा लक्ष्मणगढ सीकर में अधिशेष है, फिर भी अधिशेषकर्मी को उसी स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है।

उपरोक्त आधारों पर आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1)निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। पूर्व में जो स्थगन आदेश अपील संख्या 5013/2022 में इस अधिकरण द्वारा पारित किया गय है, उसमें प्रत्यर्थी विभाग को नये सिरे से नियमानुसार स्थानांतरण करने की स्वतंत्रता दी गई थी। वर्तमान में अपीलार्थी का स्थानांतरण सीकर से करौली किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर वर्ष 2000 से कार्यरत है। इस प्रकार अपीलार्थी का 22 वर्ष बाद वर्तमान स्थान से स्थानांतरण हुआ है, जिसमें कोई दुर्भावना प्रकट नहीं हेाती है। ऐसा कोई आधार हमारे सामने प्रकट नहीं है कि निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया हो, बल्कि प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थानांतरण किया जाना आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) से प्रकट होता है।

4. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5. जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस**

बनाम बिहार राज्य (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)